



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243234
CG-DL-E-27012023-243234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]
No. 408]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 422(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH227A के कि.मी 150 से 190.00 तक उत्तर प्रदेश राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में सड़क निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH227A पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उप भूमि अध्यापित	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	देवरिया	बरहज	1 कपरवार खादर

	अधिकारी, देवरिया ()	NH227A के कि.मी. 150 से 190 तक			सलेमपुर	1 बगही तप्पा मईल
--	----------------------------	--------------------------------------	--	--	---------	------------------

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 422(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction to 2/4 laning with paved shoulders of km. 150.00 to km.190.00 of NH-227A in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH227A in the State of UTTAR PRADESH**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Land Acquisition officer, Deoria (	150KM To 190KM	UTTAR PRADESH	DEORIA	Barhaj	1 Kaparwar khadar
					Salempur	1 Baghi Tappa Meal

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director